न्यायालय राजस्व मण्डल,म.प्र. ग्वालियर

निगरानी – 3112/2018/मंदसौर/भू.रा प्र.क्रं.

श्रीमति फुलाबाई पति फुंदालाल ब्राम्हण
द्वारा मु.आ. फुंदालाल पिता भैरूलाल ब्राम्हण
कृषक खांईखेडा तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर (म.प्र) ---- आवेदक

विरूद्ध

श्रीमति गेंदकुंवर पिता शम्भुसिंह पति लक्ष्मणसिंह
निवासी ग्राम कलालिया तहसील जावरा जिला रतलाम (म.प्र)
हालमुकाम ग्राम लसुडिया नारा तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर (म.प्र) ----अनावेदक

पुनरीक्षण अंतर्गत् धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. विरूद्ध तहसीलदार सीतामऊ जिला मंदसौर द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–19(1) 1989–90 में पारित आदेश दिनांक 30.06.1990

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र निम्नानुसार हैं :–

01. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रकरण व विधि के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य हैं।

02. यह कि अनावेदक द्वारा दखल रहित अधिनियम (विशेष उपबंध) 1984 के तहत् भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदाय करने हेतु तहसीलदार सीतामऊ जिला मंदसौर को आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदक आवेदन पर तहसीलदार ने तीन प्रोसेडिंग्स लिखकर ग्राम खांईखेडा की भूमि सर्वे नंबर 19/1 में रकबा 1.723 हेक्टेयर का पट्टा अनावेदक को दे दिया। प्रकरण अवलोकन पर प्रकट होता हैं कि एक ही Seating में एक ही दिन में पट्टा देने की संपूर्ण कार्यवाही संपादित कर दी और प्रकरण में प्रथम दृष्टया कई खामिया हैं व समुचित जांच का अभाव हैं व अनावेदक को विधि के विरूद्ध लाभ पहुचाया गया हैं। इस तरह अनावेदक को दिया गया पट्टा अवैध, अकृत व शुन्यवत् हैं।

03. यह कि अनावेदक ग्राम खांईखेडा की निवासी नही हैं। वह अन्य ग्राम कुण्डला की निवासी हैं। भूमि स्वामी अधिकारों का पट्टा प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य शर्त हैं कि जिस ग्राम में कृषिभूमि हैं पट्टाग्रहिता उसी ग्राम का निवासी होना चाहिए। इस तरह अधिनस्थ न्यायालय ने विधि की उपेक्षा कर अनियमितता की हैं।

04. यह कि अनावेदक कृषि श्रमिक नही हैं ऐसा कोई भी प्रमाण प्रकरण में प्रस्तुत नही किया गया हैं। इसे सिद्ध किए बिना उसे भूमि स्वामी अधिकारों का पट्टा देने में अधिनस्थ न्यायालय ने विधि से परे जाकर गंभीर त्रुटि की हैं।

05. यह कि अनावेदक का ससुराल ग्राम कलालिया तहसील जावरा जिला रतलाम म.प्र. में हैं। जहां पर ससुर ठाकुर रणजीतसिंह पिता गिरवरसिंह के नाम भूमिस्वामी स्वत्व

R.M.
श्री गोपालकृष्ण शर्मा अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत
26/4/2018

XXIX(a)-BR(H)-11

489

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3112/2018/मंदसौर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	